न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंन्झुनूं

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
30/2017	13.09.2017	91 एल.आर.एक्ट	25.10.2017

सरकार बनाम महाबीर सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास

24.10.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिकमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का मणकसास नें सम्वत 2074 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम मणकसास के ख0न0 1948/897 रकबा 0.18 है0 किस्म बंजड़–2 मे से रकबा 0.10 है0 पर महाबीर सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास ने बाजरा काश्त कर अतिकमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मणकसास के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिकमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल. आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का मणकसास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिकमीगण द्वारा किया गया अतिकमण अवैध हैचूंकी भूमि किस्म बंजड़–2 हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिकमी द्वारा क्िया गया अतिकमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिकमी को रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का/भू0अ0निरीक्षक को अतिक्रमित रकबे से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पटवारी हल्का/भू0अ0निरीक्षक को लिखा जावे की अतिकमी को अतिकमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें।

अतिकमी द्वारा बंजड़–2 भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.16 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 8/– अक्षरे आठ रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी